न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी— विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 94/2020 (2020/00443)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

दर्ज दिनांक 04.09.2020

अनवान

1. सलीम मोहम्मद आत्मज सफी मोहम्मद तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

——प्रार्थी

बनाम

1. शब्बीर मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान
2. हफीज मोहम्मद आत्मज शफी मोहम्मद मुसलमान
3. अहसान मोहम्मद आत्मज सिराज मोहम्मद मुसलमान
4. शौकत मोहम्मद आत्मज सिराज मोहम्मद मुसलमान
5. असलम मोहम्मद आत्मज सिराज मोहम्मद मुसलमान
6. बिस्मिल्ला बेगम पत्नि सिराज मोहम्मद मुसलमान
7. वरूणा पत्नि मुरलीधर माली
8. सुमन उर्फ सुनीता पत्नि कैलाशचन्द्र माली
9. घीसु आत्मज गोपाल माली

   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

10. फतहलाल आत्मज रंगलाल महाजन निवासी नाहरी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थीः— श्री रितेश सुराणा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः—29.10.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 6002/4 रकबा 0.1264 हे0, 6345/3 रकबा 0.0861 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2125 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1442 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न [illegible] भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 3 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 2 व 10 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :– 94/2020 (2020/00443)
प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाड़ा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा की बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 6002/4 रकबा 0.1264 हे0, 6345/3 रकबा 0.0861 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.2125 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 1442 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थी बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थी अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.15 12:00:35 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner